न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 30 / 2022

अनवान : –

1. राजेराम पुत्र हरनारायण जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. बलवीर पुत्र भैरूसिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. छोटूसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. तरासिंह पुत्र भैरूसिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. गुडडी पुत्री भैरूसिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
5. सोना देवी पत्नी भैरूसिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– असल अप्रार्थीगण

7. धन्नाराम पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
8. निराणी पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
9. भागीरथ पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
10. सतीश कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
11. हरिसिंह पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
12. ओमप्रकाश पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
13. अमीचन्द पुत्र मनफुलराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
14. शिवकुमार पुत्र मनफूलराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट</u>

उपस्थिति :–**1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी**
2. श्री सुबोध शर्मा अप्रार्थीगण

<u>निर्णय</u> **दिनांकः 07.08.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 148 / 137 की कुल 4.8070 हैक्ट भमि सायल व तरतीबी गैरसायलान के नाम दर्ज है।

रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 117 / 106 की कुल 3.4910 हैक्ट भूमि गैरसायलान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भैरूसिंह पुत्र धनसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिनके जायज वारिस बलवीर, छोटूसिंह, तारासिंह, गुडडी पुत्र व पुत्रीया भैरूसिंह व सोना देवी पत्नी भैरूसिंह है जिसमें बलवीर, छोटूसिंह, तारासिंह का नाम जमाबंदी में पहले से दर्ज है इसलिए गुडडी पुत्री भैरूसिंह व सोना देवी पत्नी भैरूसिंह को गैरसायल स0 4 व 5 कायम किया गया है।

सायल व तरतीबी गैरसायल स0 7 ता 14 अपने गांव गुडिया से चलकर स्वीकृतशुदा रास्ता से होते हुए गैरसायलान के खेत रोही मौजा [illegible]सन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 117 / 106 के [illegible]न0 [illegible]5 / 401(85) के किला न0 25 / 1 मिन पश्चिम की 0.015 हैक्ट की उत्तर [illegible] अपने खेत रोही मौजा 14 जेएसएन के खाता स0 148 / 137 में प्रवेश करते है तथा इ[illegible] रास्ता से आवागमन [illegible]आ रहे है यही रास्ता सुविधाजनक व सबसे नजदीक है तथा मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाना चाहते है। सायल उक्त रास्ता की भूमि के बदले अपने कब्जा काश्त की भूमि प0न0

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:39:54 IST
Reason: SelfAttested

355/401(85) के किला न0 16/1 की 0.2280 हैक्ट भूमि मिन दक्षिण की 0.015 हैक्ट भूमि जो गैरसायलान के चिपते हुए है भूमि देने को तैयार है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में सायल के हिस्से से 0.015 हैक्ट भूमि व तरतीबी गैरसायल स0 13–14 के हिस्से में से 0.015 हैक्ट भूमि कर की जाकर अन्य सहखातेदारों का हिस्सा यथावत रखा जावें।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। असल अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 व तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 14 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुबोध शर्मा ने वकालतनामा पेश कर जवाब इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई एतराज नही है। तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा उक्त रास्तो को स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया की उक्त रास्ता के संबंध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहमत है अर्थात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी को कोई एतराज नही है अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए रास्ता गै0मु0 दर्ज करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों को सुना एवं पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों को अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 14 जेसएसन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 117/106 के प0न0 355/401(85) के किला न0 25/1 मिन पश्चिम की 0.015 हैक्ट की उत्तर से दक्षिण दिशा में रास्ता स्वीकृत करवाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु उक्त रास्ता गै0मु0 दर्ज करवा चाहते है। सभी सहखातेदार यानि की प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहमत है तथा तहसीलदार नोहर द्वारा भी उक्त रास्ता गै0मु0 दर्ज करने की रिपोर्ट प्रेषित की गई है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे रोही मौजा 14 जेसएसन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 117/106 के प0न0 355/401(85) के किला न0 25/1 मिन पश्चिम की 0.015 हैक्ट की उत्तर से दक्षिण दिशा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 दर्ज किया जावें तथा सायल के नाम प0न0 355/401(85) के किला न0 16/1 की 0.2280 हैक्ट भूमि के मिन दक्षिण पूर्व की 0.015 हैक्ट भूमि (10X11 फिट उत्तरी पश्चिमी रास्ता की भूमि को छोड़कर) व तरतीबी गैरसायलान संख्या 13 ता 14 की खातेदारी भूमि प0 न0 355/401(85) के किला न0 17 की 0.2530 हैक्ट के मिन दक्षिण की 0.015 हैक्ट भूमि जो असल गैरसायलान के चिपती है उक्त भूमि में से सायल के हिस्से में से 0.015 हैक्ट भूमि व तरतीबी गैरसायल स0 13 व 14 के हिस्से में से 0.015 हैक्ट भूमि बहिब कम की जाकर असल गैरसायलान के नाम दर्ज की जावे व अन्य तरतीबी सहखातेदारों का हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 7/8/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:39:54 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर